न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व अपील संख्या 01/2019

अपीलार्थी

1. गंगाराम पुत्र स्व. पूसाराम जाति कुम्हार उम्र 62 वर्ष निवासी टोरडा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. ग्राम पंचायत रूपपुरा जरिये सरपंच
2. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरडा
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)
4. फूलकी बेवा पूसाराम
5. हणमानराम पुत्र स्व. पूसाराम
6. रामेश्वरलाल पुत्र स्व. पूसाराम
7. छगनलाल पुत्र स्व. पूसाराम
8. भंवरी पुत्री स्व. पूसाराम रेस्पो. सं. 4 ता 8 जाति कुम्हार निवासियान टोरडा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

अपील विरूद्व बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 330 दिनॉक 05.01.2012 ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थित – श्री अशोकपुरी अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 8 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 28.05.2019

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम टोरडा में स्वर्गीय पूसाराम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार के सहखातेदारी के खेत खसरा नम्बर 260 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 262 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 263 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 264 रका 1.31 हैक्टर कुल रकबा 2.76 हैक्टर में 1/4 हिस्सा अवस्थित रहा। पूसाराम पुत्र कानाराम का स्वर्गवास हो गया एवं पूसाराम पुत्र कानाराम मिताक्षरा हिन्दू लॉ में शासित होता था इसलिए उनके स्वर्गवास उपरान्त अपीलान्ट एवं रेस्पो. सं. 4 ता 8 विधिक वारिसान हुए, अतः राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 40 के अन्तर्गत अपीलान्ट एवं रेस्पाडेन्ट सं. 4 ता 8 [illegible] कार से खातेदार हो गये एवं आज भी काबिज है। पूसाराम पुत्र क[illegible]राम [illegible] स्वर्गवास के बाद रेस्पो. संख्या 4 ता 8 ने अपने आपको [illegible] बताते हुए अपीलान्ट को छोड़ते हुए अपने नाम पटवारी हल्का से मिलकर गलत उतराधि[illegible] आधार पर गलत नामान्तरकरण संख्या 330 दिनॉक 05.01.2012 को अंकित [illegible] लिया एवं ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरड़ा से इस स्वीकृत करवा लिया, उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक अधिकार तक प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है, उक्त नामान्तर–

....2....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:45:37 IST
Reason: SelfAttested

करण से रेस्पो सं. 4 ता 8 को कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते। उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से कानूनी प्रक्रिया नही अपनाई गई ओर न ही ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरडा द्वारा पूसाराम पुत्र कानाराम के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में जांच की गई, केवल मात्र सहवन से पूसाराम पुत्र कानाराम के विधिक वारिस रेस्पो. सं. 4 ता 8 को बताते हुए विधि विरूद्व नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जो गलत है, इस गलत नामान्तरकरण के आधार पर रेस्पो. सं. 4 ता 8 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। अपीलान्ट स्व. पूसाराम पुत्र कानाराम का विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण जैर अपील खसरा नम्बर की भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं उसके अधिकार कानूनन सुरक्षित है राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन के आधार पर अपीलान्ट के अधिकार प्रभावित नही होते। ग्राम टोरडा के ही अन्य खसरा नम्बर 333 334 335 336 337 346 347 कुल रकबा 6.27 हैक्टर मे पूसाराम पुत्र कानाराम का 2.26 हैक्टर की खातेदारी अवस्थित थी, पूसाराम पुत्र कानाराम के स्वर्ग पश्चात उक्त खसरा नम्बरान में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 130 भरा गया जिसमें अपीलान्ट एंव रेस्पो. सं. 4 ता 8 को खातेदार दर्ज किया गया इसलिए नामान्तरकरण संख्या 330 का ज्ञान अपीलान्ट को नही हो सका, दिनॉक को 08.04.2019 को इस बात की जानकारी हुई। अपीलान्ट की इस्तदुआ है कि अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरडा के नामान्तरकरण संख्या 330 दिनॉक 05.01.2012 को निरस्त फरमाया जावे एवं ग्राम टोरडा के खसरा नम्बर 260, 262, 263, 264 कुल रकबा 2.76 हैक्टर की खातेदारी पूसाराम पुत्र कानाराम के स्थान पर अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 4 ता 8 के नाम दर्ज फरमाई जावे।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 3 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 8 ने उपस्थित होकर अपील स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरडा द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र दिनॉक 04.06.2006 की प्रति पूसाराम पुत्र कानाराम के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति, टोरडा के नामान्तरकरण संख्या 130 एवं 330 की प्रमाणित प्रति ... की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:45:37 IST
Reason: SelfAttested

वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। ... बहस बताया कि ग्राम टोरडा के नामान्तरकरण संख्या 330 ... होने पर उसके विधिक वारिसान का नाम आना चाहिए था, जो नामान्तरकरण संख्या 130 में तो दर्ज कर दिया गया परन्तु नामान्तरकरण संख्या 330 मे दर्ज होने से रह गया । जिसके लिए परिवार के अन्य सदस्यो द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर अपील प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए उपरोक्त भूमि में नाम दर्ज किये जाने की

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सहमति प्रदान की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। ग्राम टोरडा के खसरा नम्बर 260 262 263 264 में अपीलार्थी गंगाराम पुत्र पूसाराम का नाम नामान्तरकरण संख्या 330 में दर्ज करने से छूट गया है तथा ग्राम टोरडा के खसरा नम्बर 333 334 335 336 337 347 में जरिये नामान्तरकरण संख्या 130 अपीलार्थी गंगाराम का नाम दर्ज हुआ है। नामान्तरकरण संख्या 330 एवं 130 दोनो ही विरासत के नामान्तरकरण है जिसमें पूसाराम पुत्र कानाराम के स्थान पर उसके वारिसान का नाम दर्ज किया है जिससे नामान्तरकरण संख्या 330 में गंगाराम का नाम दर्ज होने से छूट गया है। ग्राम पंचायत रूपपुरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र दिनॉक 04.06.2006 अनुसार भी गंगाराम को पूसाराम का पुत्र दर्शाया गया है। वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या 104 में गंगाराम का नाम दर्ज चला आ रहा है एवं खाता संख्या 183 में अपनी माता बहन एवं भाईयो के साथ गंगाराम का नाम दर्ज नही हो सका। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 330 दिनॉक 05.01.2012 में त्रुटि रही है तथा गंगाराम पुत्र स्व. पूसाराम जाति कुम्हार नि. टोरडा का नाम छूट गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थी अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाये जाने के लिए मुश्तहक है। अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य है। अतः स्वीकार कर निम्नवत आदेश दिये जाते है।

आदेश

उपरोक्त सम्पूर्ण बहस एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है और सरंपच ग्राम पंचायत रूपपुरा–टोरडा के नामान्तकरण प्रविष्टि ग्राम टोरडा के नामा. संख्या 330 दिनॉक 05.01.2012 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी गुणवागुण के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई कर (चालू खतौनी सम्वत 2073–76 में ग्राम टोरडा के खसरा नम्बर 260, 262, 263, 264 कुल रकबा 2.76 हैक्टर में अन्य छगनलाल फूलकीदेवी भंवरीदेवी रामेश्वरलाल हणमानराम/पुसाराम के स्थान परं गंगाराम छगनलाल फूलकीदेवी भंवरीदेवी रामेश्वरलाल हणमानराम/पूसाराम) के नाम भूमि दर्ज की जावे।

आदेश आज दिनॉक 28/05/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:45:37 IST
Reason: SelfAttested